(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF FOOD SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS)
K-BLOCK, VIKAS BHAWAN, NEW DELHI-110002

DATED: 20.02.2021

NOTIFICATION

No.F.2(172)/F&S/IT/2017-18/Vol.I/185 - 215 :-In exercise of the powers conferred by Section 12 read with Section 24 of the National Food Security Act, 2013 (No.20 of 2013), the "Scheme Document" of Door Step Delivery of Ration (Wheat Flour, Rice and Sugar) under Targeted Public Distribution System under "Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojna" is notified.

MUKHYA MANTRI GHAR GHAR RATION YOJNA

1. Background

The National Food Security Act, 2013 (NFSA), 2013 provides for food and nutritional security by ensuring access to adequate quantity of quality food at affordable prices to people to live a life with dignity. NFSA, 2013 inter alia provides for coverage of up to 75% of the rural population and up to 50% of the urban population at all India level under TPDS. As per NFSA, 2013, Public Distribution System is operated under the joint responsibility of the Central and the State Governments. The Central Government, through Food Corporation of India (FCI), has the responsibility for procurement, storage, transportation and bulk allocation of food grains to the State Governments. The operational responsibility including allocation within State, identification of eligible households, ensuring actual delivery or supply of the food grains to the entitled persons at the specified prices rest with the State Governments. The Priority Households (PHH) in Delhi are presently entitled to receive food grains @ 5 kg per person per month (4Kg. of Wheat and 1 Kg. of Rice) at the issue prices of Rs. 3.00 per kg for Rice and Rs. 2.00 per kg for Wheat respectively. The Antyodaya Anna Yojana (AAY) households receive 35 kg of food grains per household per month at the same subsidized price. They also get one kg sugar per household per month at Rs. 13.5 per kg, additionally.

In order to manage the supply chain operations which involve lifting of commodities from FCI godowns to the Fair Price Shops, the Department avails the services of Delhi State Civil Supplies Corporation Ltd. (DSCSC), which is a wholly Government owned organization associated with the Food and Civil Supplies Department, GNCTD. DSCSC is responsible for transportation of Wheat and Rice from six FCI (Food Corporation of India) godowns and Sugar from two State owned godowns to Fair Price Shops (FPS) spread across Delhi. The distribution of commodities to TPDS beneficiaries in Delhi is currently managed by a network of more than 2,000 licensed Fair Price Shops appointed by the Department in line with the guidelines of Targeted Public Distribution System (TPDS).

SSA/IT/765
23-02-21

To upload.

2. Home Delivery of Ration under Targeted Public Distribution System

With an aim to reform the Targeted Public Distribution System (PDS) in Delhi and to ensure that the targeted beneficiaries receive their monthly ration in a transparent manner with maximum ease, the Government of NCT of Delhi has planned to rollout a new scheme - **'Mukhya Mantri Ghar-Ghar Ration Yojna'** also referred to as 'MMGGRY' vide Cabinet Decision Nos. 2561 dated 06/03/2018, 2857 dated 21.07.2020 &. 2878 dated 09.10.2020. The new scheme is designed to ensure that the entitled quantity of quality food at affordable prices is being distributed at the doorstep of genuine beneficiary.The scheme involves distribution of packaged Wheat Flour Atta (WFA) instead of Wheat. Also, the Rice will also be cleaned and packaged before distribution to the beneficiaries.

3. Framework for Doorstep Delivery of Ration

As per new scheme i.e. Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojna, food grains will be lifted from FCI godown by the Millers empanelled by DSCSC through tendering process and transported to the milling units, where Wheat will be converted into Wheat Flour (Chakki) Atta (WFA) and packed in packets of different weights as per requirement. Similarly, Rice will be lifted from FCI godown to Rice Processing Units where it will be cleaned and packed in packets of different weights as per requirement. These packed items will be delivered to designated FPSs by the Miller which will be further delivered to the doorstep of beneficiaries. Distribution of packaged items (Wheat Flour Atta & Rice) will be done only after successful biometric authentication using e-PoS devices. The cost of subsidized food grains and a specified amount as milling/conversion charges will be collected from the beneficiaries.

The Scheme will be optional, and an option shall be taken from the beneficiaries of existing TPDS scheme in Delhi, as to whether they want to enrol under MMGGRY or continue under existing TPDS. Those who are not opting for MMGGRY shall continue to get their ration as per existing mechanism and price. Beneficiaries will be able to exercise option in the beginning of every financial year.

Implementation of the MMGGRY scheme will be done in two stages.

i. **Stage-1:** Delhi State Civil Supplies Corporation Ltd (DSCSC) has been engaged as the implementation and monitoring agency for Stage-1 and is entrusted with the empanelment of millers/processing units, who shall carry out the lifting of foodgrains (Wheat and Rice) from FCI godowns, transporting to their dedicated milling units, where it would be Milled/processed, packed and then transported to the designated Fair Price Shops for doorstep delivery of ration to the end beneficiaries.

   The DSCSC Ltd will empanel Millers who shall setup and operate milling and processing units for MMGGRY Scheme. These Millers will be responsible for lifting and transportation of commodities (Wheat and Rice) from FCI godown to these dedicated milling and processing units. The Millers/Processing Units shall store, clean and grind the wheat using only the stone (chakki) mills to make Wheat Flour (Atta). Similarly, the Rice shall be cleaned of all impurities like straws, jute bag thread, dust etc. The Wheat Flour (Atta) and clean Rice shall be packed using standard quality of packaging material and shall have the name of mill, batch no., date of manufacturing, expiry (best before) date, and all mandatory information on each packet. These packed Commodities shall be then delivered at the Fair Price Shops of DCCWS for further distribution to the doorstep of the end beneficiaries.

ii. **Stage-2:** Delhi Consumer's Co-operative Wholesale Store Ltd (DCCWS) has been engaged with the responsibility of setting up of Fair Price Shops across various districts of Delhi. Further, it shall empanel Direct to Home Delivery (DHD) agencies for delivering the packaged commodities to the doorstep of the end beneficiaries from DCCWS associated Fair Price Shops.

The DCCWS shall empanel Direct to Home Delivery Agencies who shall be responsible for lifting the packed rations from Fair Price Shops and deliver the same to doorstep of beneficiaries.

The DHD Agency shall notify the beneficiary in advance through SMS. The packed ration shall be handed over to the beneficiary only after his/her successful biometric authentication using the e-POS device. An e-POD (Proof of Delivery) shall be captured for records. The ration card holders may draw their full entitlements of food grains (packed rations) in more than one instalment.

There will be provision of a grievance management system to enable the beneficiaries of MMGGRY to raise their grievances related to the scheme. A call centre for beneficiaries is also envisaged under the scheme. The DHD Agency shall also carry out beneficiary reach out programmes from time to time and provide various scheme related information to the beneficiaries.

To ensure transparency and to prevent leakage/diversion/substitution/theft etc., the scheme shall be monitored closely by the Department. The entire operation from lifting of food grains from FCI, milling, packaging till the delivery of packaged commodities to the beneficiary shall be carried out under CCTV monitoring, and the transportation of commodities shall be done in GPS fitted vehicles.

This issues with the prior approval of Hon'ble Minister (Food, Supplies & Consumer Affairs)based on Cabinet Decision no. 2561 dated 06.03.2018, Cabinet Decision no. 2857 dated 21.07.2020 and Cabinet Decision no. 2878 dated 09.10.2020.

(Rajesh Ahuja)
Assistant Commissioner
Food Supplies and Consumer Affairs Department

No.F.2(172)/F&S/IT/2017-18/Vol.I/185-215 Dated: 20.02.2021

Copy for information to:-

1. Secretary to Govt. of India, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, Krishi Bhawan, New Delhi
2. Secretary to Govt. of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi

3. Pr. Secretary to L.G., Delhi
4. Spl. Secretary to Chief Minister, Delhi
5. Secretary to the Hon'ble Minister, Govt of NCT of Delhi
6. Secretary to the Hon'ble Minister, Law. Govt of NCT of Delhi
7. Commissioner, Delhi Police Head Quarter, Jai Singh Marg, New Delhi-01
8. P.S. to Hon'ble Leader of Opposition, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi
9. Financial Commissioner, Delhi
10. Divisional Commissioner, GNCTD
11. Chairman-cum Managing Director, DSCSC Ltd., 7-9, Aapurti Bhawan, Aram Bagh, Paharganj, Delhi-110055
12. Director, Directorate of Information and Publicity, GNCTD
13. O.S.D. to Chief Secretary, Delhi
14. Secretary, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi
15. General Manager, Food Corporation of India, Regional Office, DDA Complex, Rajendra Bhawan, Rajendra Place, New Delhi-110008
16. General Manager, Delhi Consumer's Co-operative Wholesale Store Ltd., Karampura Road, Moti Nagar, New Delhi-110015
17. All Zonal Asstt. Commissioners, F&S
18. All Assistant Commissioners (HQ), F&S
19. All Circle FSOs through Zonal ACs, F&S
20. Supdt., (Co-ordination), GAD, Govt. of NCT of Dlehi with Hindi version for publication in Delhi Gazette Extra-ordinary with the request to send 10 copies of gazetter notification to the department for official purpose.
21. PS to Commissioner, F&S
22. PA to Addl. Commissioners, F&S
23. PA to Jt. Commissioner, F&S
24. SSA (IT), F&S to also upload on the Deptt. website
25. All Fair Price Shop holders through respective Circle FSOs
26. President, Delhi Sarkari Ration Dealers Sangh-Delhi, Shop No. 2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrence Road, Delhi-110035
27. President, All India Fair Price Shop Dealers' Federation, S-562, School Block, 'Akhand Hindustan Bhawan', Shakarpur, Delhi-110092
28. President, All India Fair Price Shop Dealers' Federation, Plot No.1028, Vill. & P.O. TikriKalan, Delhi-110041
29. President, Uchit Dar Dukandar & Upbhokta Association, 9/14, Dr. Ambedkar Basti, Street No.5, Maujpur, Delhi-110053

30. President, Public Distribution System Welfare Association (Delhi), 3243, School Street, Paharganj, New Delhi-110055

31. Guard File

(Rajesh Ahuja)
Asstt. Commissioner
Food Supplies & Consumer Affairs Department
Dated: 20.02. .2021

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग
के–ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली–110002

दिनांक : 20/02/2021

अधिसूचना

फा.सं.2(172)/खा.एवं आपू./आईटी/2017–18/Vol.1/185-215......राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 12 एवं धारा 24 के अंतर्गत **मुख्य मंत्री घर घर राशन योजना** के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की (गेहूँ का आटा, चावल व चीनी) के डोर स्टेप डिलवरी की "योजना दस्तावेज" अधिसूचित की जाती है ।

मुख्य मंत्री घर घर राशन योजना

1. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लोगों को सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाले खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करके खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करता है । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी0पी0डी0एस0) के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत तक और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत तक कवरेज प्रदान करता है । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित की जाती है । भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से केन्द्र सरकार के पास राज्य सरकारों को खाद्यान्न की खरीद, भण्डारन, परिवहन और थोक आबंटन की जिम्मेदारी है । राज्य के भीतर आबंटन, पात्र परिवारों की पहचान, पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न का वास्तविक वितरण सुनिश्चित करने सहित परिचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है । वर्तमान में, दिल्ली में प्राथमिकता परिवार कार्डधारक प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन (4 किलो गेहूँ एवं 1 किलो चावल) जिसमें रूपये 3/– प्रति किलो चावल और रूपये 2/– प्रति किलो गेहूँ प्राप्त करने के हकदार है । अन्तोदय अन्न योजना के तहत परिवारों को प्रति माह 35 किलो खाद्यान्न (25 किलो गेहूँ एवं 10 किलो चावल) उसी रियायती मूल्य पर मिलता है । उन्हें प्रति माह प्रति परिवार एक किलो चीनी जिसका दाम रूपये 13.50 प्रति किलो है, भी मिलती है ।

आपूर्ति श्रृंखला संचालन का प्रबन्धन करने के लिये जिसमें भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न को उचित मूल्य के दुकानों तक पहुंचाना शामिल है, विभाग दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की सेवाओं का लाभ उठाता है, जो पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली संस्था है । दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड छह भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेहूँ और चावल तथा दिल्ली में स्थित दो राज्य के स्वामित्व वाले गोदामों से चीनी के परिवहन के लिये जिम्मेदार है । वर्तमान में दिल्ली में इन खाद्यान्नों का वितरण टी0पी0डी0एस0 लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दिशा–निर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा नियुक्त लगभग 2000 से अधिक लाइसेंस प्राप्त उचित मूल्य की दुकानों (एफ0पी0एस0) के नेटवर्क के द्वारा किया जाता है ।

2. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन का घर पर वितरण

दिल्ली में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने और लाभार्थी के मासिक राशन को पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने राज्य में **"मुख्य मंत्री घर घर राशन योजना"** अपने कैबिनेट निर्णय संख्या–2561 दिनांक 06.03.2018, 2857 दिनांक 21.07.2020 और 2878 दिनांक 09.10.2020 के द्वारा

कार्यान्वित करने जा रही है । नयी योजना यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनायी गयी है कि सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाले खाद्यान्न की वास्तविक मात्रा का वितरण वास्तविक लाभार्थी के द्वार पर किया जा सके । इस योजना में गेहूँ की बजाय गेहूँ के आटे के पैकेट का वितरण शामिल है । साथ ही, लाभार्थियों को पहले से ज्यादा साफ और पैक किया हुआ चावल भी वितरित किया जायेगा ।

3. घर द्वार राशन पहुंचाने का ढांचा

नयी योजना, **मुख्य मंत्री घर घर राशन योजना** के तहत दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित मिलरों से खाद्यान्न को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से मिल इकाइयों में पहुंचाया जायेगा, जहाँ गेहूँ को (चक्की) गेहूँ के आटे में परिवर्तित किया जायेगा और आवश्यकतानुसार अलग–अलग वजन के पैकेट में पैक किया जायेगा । इसी तरह चावल को भी गोदाम से प्रसंस्करण इकाइयों में ले जाया जायेगा जहाँ इसे साफ किया जायेगा और आवश्यकतानुसार अलग–अलग वजन के पैकेट में पैक किया जायेगा । इन पैकड खाद्य वस्तुओं को मिलर द्वारा एफ०पी०एस० को वितरित किया जायेगा जो आगे इसे लाभार्थियों के द्वार तक पहुंचायेंगें । पैकड वस्तुओं (गेहूँ का आटा और चावल) को वितरण ई–पीओएस उपकरणों का उपयोग करके सफल बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही किया जायेगा । अनुदानित खाद्यान्नों की लागत और मिलिंग/रूपान्तरण शुल्क के रूप में एक निर्धारित राशि लाभार्थियों से ली जायेगी ।

यह योजना वैकल्पिक होगी । दिल्ली में मौजूदा टी०पी०डी०एस० योजना के लाभार्थियों से एक विकल्प लिया जायेगा कि वे एम०एम०जी०जी०आर०वाई० के तहत नामांकन करना चाहते हैं या मौजूदा टी०पी०डी०एस० के तहत राशन लेना जारी रखना चाहते हैं । जो लोग एम०एम०जी०जी०आर०वाई० के तहत चयन नहीं कर रहे हैं, उन्हें मौजूदा व्यवस्था के अनुसार राशन मिलता रहेगा । यह विकल्प प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरूआत में उपलब्ध रहेगा ।

एम०एम०जी०जी०आर०वाई० का कार्यान्वयन दो चरणों में किया जायेगा ।

(i) **<u>प्रथम चरण</u> :** दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (डीएसएसएससी लि०) को प्रथम चरण के तहत कार्यान्वयन और निगरानी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है तथा उसे चयनित मिलरों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों (गेहूँ और चावल) को उनकी मनोनीत मिलर्स की प्रोसेसिंग इकाइयों तक पहुंचाना होगा, जहाँ पर मिल्ड/संसाधित और पैक किया जायेगा तथा लाभार्थियों को राशन की डोर–स्टेप डिलवरी के लिये नामित उचित मूल्य की दुकानों (एफ०पी०एस०) में पहुंचाया जायेगा ।

डीएसएसएससी लि० उन मिलर्स को सूचीबद्ध करेगा जो एमएमजीजीआरवाई के लिये मिलिंग और प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना और संचालन करेंगें । ये मिलर्स एफसीआई गोदाम से खाद्यान्न (गेहूँ और चावल) को समर्पित मिलिंग और प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाने के लिये जिम्मेदार होंगें । मिलर्स/प्रोसेसिंग यूनिट गेहूँ को साफ करके मिलों द्वारा गेहूँ को गेहूँ के आटे में पीसकर स्टोर करेंगें । इसी तरह चावल को भी सभी अशुद्धियों जैसे तिनके, जूट के रेश इत्यादि से रहित किया जायेगा । गेहूँ का आटा और साफ चावल पैकेजिंग सामग्री के मानक गुणवत्तानुसार पैक किया जायेगा और मिल, बैच का नाम, दिनांक, एक्सपायरी की तिथि अथवा अन्य अनुमोदित सूचना प्रत्येक पैकेट पर मुद्रित की जायेगी । इन पैकेड वस्तुओं को लाभार्थियों के घर वितरण के लिये डी०सी०सी०डब्लू०एस० की उचित मूल्य की दुकानों (एफ०पी०एस०) पर दिया जायेगा ।

(ii) **<u>द्वितीय चरण</u> :** दिल्ली कंज्यूमर को–ऑपरेटिव होलसेल स्टोर लिमिटेड (डीसीसीडब्लूएस) को दिल्ली के विभिन्न जिलों में उचित मूल्य की दुकानें स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गयी है । इसके अलावा

रमेश अग्रवाल

(डीसीसीडब्लूएस) डायरेक्ट टू होम एजेंसी को एंगेज करेगा जो डीसीसीडब्लूएस जुड़ी उचित मूल्य की दुकानों से लाभार्थियों के घर तक वस्तुओं को वितरित करेगी ।

डीसीसीडब्लूएस की उचित मूल्य की दुकानों का उपयोग एमएमजीजीआरवाई के तहत लाभार्थियों को पैकड वस्तुओं के सीधे वितरण के लिये किया जायेगा । डीसीसीडब्लूएस द्वारा नियुक्त डीएचडी एजेंसियां लाभार्थियों को पैकड राशन की होम डिलवरी के लिये सीधे उत्तरदायी होगी । डीएचडी एजेंसी एसएमएस के माध्यम से लाभार्थी को अग्रिम सूचना देगी । पैकड राशन ई–पीओएस डिवाइस के माध्यम से अपने सफल बायोमैट्रिक प्रमाणिकरण के बाद ही लाभार्थी को सौंपा जायेगा । एक ई–पीओडी (डिलवरी का प्रमाण) दर्ज किया जायेगा । राशन कार्डधारक खाद्यान्न के अपने पूर्ण अधिकार को एक से अधिक किश्तों में प्राप्त कर सकते हैं ।

योजना से संबंधित शिकायतों के लिये एमएमजीजीआरवाई के तहत एक शिकायत प्रबंधन प्रणाली को प्रावधान होगा । योजना के तहत लाभार्थियों के लिये एक कॉल सेन्टर की भी परिकल्पना की गयी है । डीएचडी एजेंसी लाभार्थियों को समय–समय पर योजना संबंधी विभिन्न जानकारी प्रदान करने का काम भी करेगी ।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लीकेज/डायवर्जन/प्रतिस्थापन/चोरी आदि को रोकने के लिये विभाग द्वारा इस योजना की बारीकी से निगरानी की जायेगी । एफसीआई से खाद्यान्न उठाने से लेकर मिलिंग/पैकेजिंग तथा लाभार्थी को पैकेड वस्तुएं पहुंचाने तक का सारा काम सीसीटीवी मॉनिटरिंग के तहत किया जायेगा और इन खाद्यान्न के परिवहन में लगे वाहनों में जीपीएस भी लगाया जायेगा ।

यह कैबिनेट निर्णय संख्या–2561 दिनांक 06.03.2018, 2857 दिनांक 21.07.2020 और 2878 दिनांक 09.10.2020 के आधार पर माननीय खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री की पूर्वानुमति से जारी किया जाता है ।

राजेश आहूजा

(राजेश आहूजा)
सहायक आयुक्त
खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग

फा.सं.2(172)/खा.एवं आपू./आईटी/2017–18/vol.1/185-215 दिनांक: 20/02/2021

प्रति सूचनार्थ :

1. सचिव, उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली.
2. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली.
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
4. माननीय मुख्य मंत्री जी के विशेष सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय, दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय खाद्य मंत्री, दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननीय कानून मंत्री, दिल्ली सरकार
7. आयुक्त, दिल्ली पुलिस, पुलिस मुख्यालय, जय सिंह मार्ग, नई दिल्ली
8. निजी सचिव, माननीय नेता प्रतिपक्ष, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली
9. निजी सचिव, वित्तीय आयुक्त, दिल्ली
10. मण्डल आयुक्त, दिल्ली सरकार

11. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, 7–9, आपूर्ति भवन, आराम बाग, पहाड़गंज, दिल्ली.
12. निर्देशक, सूचना एवं प्रसार निदेशालय, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली.
13. विशेष कार्य अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली
14. सचिव, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली
15. महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, डी.डी.ए. काम्पलेक्स, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र पैलेस, नई दिल्ली.
16. महाप्रबन्धक, डीसीसीडब्लूएस लि0, कर्मपुरा रोड, मोती नगर, नई दिल्ली–110015
17. सभी क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, खाद्य, आपूति विभाग
18. सभी सहायक आयुक्त (मुख्यालय), खाद्य, आपूति विभाग
19. सभी खाद्य सम्भरण अधिकारी (सहायक आयुक्त द्वारा), खाद्य, आपूति विभाग
20. अधीक्षक (कोडिनेशन), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार
21. निजी सचिव, आयुक्त, खाद्य, आपूर्ति विभाग
22. निजी सचिव, अतिरिक्त सचिव, खाद्य, आपूति विभाग
23. निजी सहायक, खाद्य, आपूति विभाग
24. एसएसए (आई.टी.), खाद्य, आपूति विभाग इस आशय के साथ प्रेषित कि वे इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे ।
25. सभी उचित दर लाइसेंसी द्वारा खाद्य सम्भरण अधिकारी द्वारा
26. अध्यक्ष, दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ, शॉप नं0–2 एवं 3, सी–4, डी0डी0ए0 मार्किट, फस्ट फ्लोर, लारेंस रोड, दिल्ली–110035
27. अध्यक्ष, ऑल इण्डिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन, एस–562, स्कूल ब्लॉक, अखण्ड हिन्दुस्तान भवन, शकरपुर, दिल्ली–110092
28. अध्यक्ष, ऑल इण्डिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन, प्लाट नं0–1028, गांव एवं पोस्ट आफिस टिकरी कलॉं, दिल्ली–110048
29. अध्यक्ष, उचित दर दुकानदार एवं उपभोक्ता एसोसिएशन, 9/14, डॉ0 अम्बेडकर बस्ती, गली नं0–5, गौंजपुर, दिल्ली–110053
30. अध्यक्ष, पब्लिक डिस्ट्रब्यूशन सिस्टम वेलफेयर एसोसिएशन, 3243, स्कूल गली, पहाड़गंज, नई दिल्ली–110055.
31. गार्ड फाईल

/

राजेश आनन्द